Chief Minister's Information System
Jan Ghoshna Patra Listing

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
1	4.1 - श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार देना।	इस विषय पर विचार कर सुझाव हेतु मंत्रीमण्डल समूह का गठन प्रस्तावित कर दिया गया है। तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।	Task Initiated
2	4.2 - प्रत्येक गांव की सड़कों की मरम्मत करना तथा जहां सड़क नहीं है, वहां RCC (Reinforced Cement Concrete) की नई सड़कें बनाना तथ जल निकास हेतु समुचित Drainage System को विकसित करना।	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां सडक नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग सडक/सीमेंट सडक का निर्माण तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत का डेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबन्धन ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्वर्जेस किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं गांव में ऐसी सडकें जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यंक है उनका सर्वे कर योजनान्तर्गत कार्य कराने हेतु जिला परिषदों को निर्देशित किया जा चुका है। दिनांक 13-08-2019 तक 8481 ग्राम पंचायतों में 19588 कार्य स्वीकृत किये जा चुके है।	Task in Progress
3	4.10 - ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन।	जलग्रहण विभाग के कृषि अभियंताओं को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने के विरूद्ध में प्रदेशाध्यरक्ष, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंजिनियर्स एसोशियेशन द्वारा विरोध किया गया है। तथा वर्ष 2013 में राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में संशोधन द्वारा जोडे गये कृषि अभियांत्रिकी योग्यता को विलोपित कराने के संबंध में पत्रावली उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई जिस पर निर्णय होना अपेक्षित है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं. 500/2013 राजकुमार एवं अदर्स बनाम स्टेट में दिनांक 11.03.2014 जिसमें विभागीय नियम, 1998 के अन्तर्गत शुरू की गई भर्ती को नियमानुसार नहीं माना गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च् न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 12448/2014 दायर की गई है, जो अभी लम्बित है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जानी संभव है।	Task Initiated

Chief Minister's Information System
Jan Ghoshna Patra Listing

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
4	4.11 - पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया जाएगा।	पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित कर दिये जाने के उपरान्त इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में आवश्यपक संशोधन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी कर दी गई है।	Task Completed
5	27.8.04 - अतिक्रमियों पर शिकंजा कसा जायेगा एवं जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिये संबंधित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।	ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष अभियान संचालित कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये है।	Task in Progress
6	27.36.01 - शहरों और गांवों में बीमारियों की रोकथाम और पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छता हेतु महत्ती कार्य योजना।	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा (संसाधन) हेतु प्रावधान रखा गया है। राज्य की सभी 9892 ग्राम पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त जिले से स्वीकृति जारी कर ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया जाना है। राज्य एवं जिला स्तर पर पर्यवेक्षण कर समस्त ग्रामों में नियमित सफाई व्यवस्था, घर-घर कचरा संग्रहण, पृथक्कीरण एवं निस्तारण के कार्य किये जा रहे है । ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल संसाधन प्रबन्धन (SLRM) हेतु कुल 9894 ग्राम पंचायतों में से 8196 SLRM प्रोजेक्ट अनुमोदित किये गये है एवं शेष 1698 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव प्राप्ति किये जा रहे है जिन्हें आगामी SLSSC बैठक में अनुमोदन करा कर जिलों में कार्य करने हेतु निर्देशित कर दिया जावेगा।	Task in Progress

Chief Minister's Information System
Jan Ghoshna Patra Listing

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
7	23.2.01 - घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पट्टा।	घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयन का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पंचायती राज नियम 158 के तहत घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पटटे जारी किये जा रहे है।	Continuous Nature